» न्यूज-ब्रीफ

मॉक ड्रिल हवाई हमलों से बचने की पूर्व तैयारी : एसडीएम

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। दुश्मन देश के द्वारा किये जाने वाले संभावित हवाई हमलों से लोगो की जान माल को बचाने ओर सुरक्षा के मध्यनजर बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया। जिससे नागरिकों मे युद्ध होने की स्थिति मे कैसे बचा जाये इसका पूर्वाभ्यास है। डेगाना मे बुधवार को सवा दस से साढे दस बजे तक ब्लेक आउट किया गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने बताया की इस मॉक ड्रिल से किसी को भी घबराने की जरूरत नही है। ये केवल आमजन को जागरूक करने के लिए युद्ध जैसी स्थित पैदा होने पर जान माल को बचाने का नागरिकों को प्रशिक्षण है। उन्होंने कहा की आंतकवाद की जननी हमारा पडोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा पर तनाव है तथा युद्ध होने का खतरा भी है। इसके लिए एसडीएम ने आज ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेकर गांवों मे भी ब्लेक आउट को शांती पूर्वक कराने तथा लोगो को जागरूक करने के निर्देश दिये। सवा दस से साढे दस तक प्रकाश देने वाले सभी सोर्स बंद रखने का आह्वान किया।

आंतकवाद मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा : चिश्ती

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती उत्तराधिकारी अजमेर दरगाह दीवान व चेयरमैन आल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने मंगलवार रात को डेगाना दुर्गा मैरिज गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनसे हुई बातचीत में बताया कि कश्मीर के पहलगाम मे हुआ हमला पूरे इंसानियत ओर भारत पर हमला है। इस हमले का बदला लेने में हम सरकार के हर फैसले के हर कदम पर साथ हैं। उन्होंने कहा की आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवादी किसी भी मजहब का हो सकता है। चिश्ती ने बताया कि भारत सरकार की हर एक फैसले को हम मानने को तैयार हैं। तथा सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़ा फैसला लेकर देश के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाये की आंतकवादियों की आने वाली कई पीढियां भविष्य में भारत पर हमला करने की सोच भी नही सके। इसीलिए आंतकवाद को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए।

पूर्व सीएम गहलोत से मिले डेगाना कांग्रेस नेता भूकर

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। डेगाना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश भूकर ने पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत से मिलकर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया ओर नागौर ओर डेगाना विधान सभा क्षेत्र की राजनेतिक स्थिति पर चर्चा की। भूकर ने डेगाना विधान सभा मे कांग्रेस संगठन के बारें मे चर्चा की। भूकर ने बताया की डेगाना मे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने अनुभवी कांग्रेसी नेताओं के मार्ग दर्शन में नये युवा कार्यकताओं को जोडकर कांग्रेस का गढ रहै नागौर ओर डेगाना विधान सभा क्षेत्र मे संगठन को खडा करने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा की कुछ लोग पार्टी को छोडकर अपने स्वार्थ को साधने के लिए अलग रास्ता अपना लिया। लेकिन पार्टी पर इसका कोई असर नही पडा। बस जरूरत कार्यकताओं को खडा करने की है। इस अवसर पर गहलोत ने पार्टी के कार्यकताओं को जोडने की बात कही।

सीकर रोडवेज कर्मचारी विक्रम सिंह को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता

सीकर (सीमा सन्देश सं)। राजस्थान रोडवेज सीकर डिपो में कार्यरत रहे स्वर्गीय विक्रम सिंह को मंगलवार को घर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर साथी कर्मचारियों एवं कल्याण समिति सीकर द्वारा विक्रम सिंह की पत्नी को आर्थिक सहायता स्वरूप कुल 4,92,200 रुपये की सहायता राशि के दो चेक सौंपे गए। इसमें से 50,000 रुपये का चेक कल्याण समिति सीकर की ओर से तथा 4,42,200 रुपये का चेक रोडवेज कर्मचारियों के सहयोग से प्रदान किया गया। इस दौरान कर्मचारियों की आंखें नम रहीं और परिचालक विक्रम सिंह को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में विक्रम महला, विनोद, सीकर डिपो यातायात निरीक्षक बीरमा राम, सांवरमल यादव, महावीर पारीक, सागर मल सेवदा, कुंभाराम, सुभाष सुंडा, अशोक मील, अरविंद मील, अशोक पुनिया, श्रवण पिलानिया, प्रताप सिंह ओला, महेश कुडी और बाबूलाल कुमावत सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बीरमा राम यातायात निरीक्षक ने बताया की साथी विक्रम सिंह अपने ड्यूटी के प्रति एक सैनिक तरह कार्य करता था ' साथी का स्वभाव मिनलसार होने के कारण सभी के चहेते थे विक्रम सिंह अमर रहें।

ऑपरेशन अभ्यास के तहत राजकीय बांगड महाविद्यालय में मॉक ड्रील का आयोजन

मॉक ड्रील में अंतर विभागीय समन्वय से नागरिकों को किया जागरूक

- **हवाई हमले की आपातकालीन स्थिति में राहत, बचाव व सुरक्षा व्यवस्था के उपायों को परखा**

डीडवाना-कुचामन (सीमा सन्देश सं)। जिले में 'ऑपरेशन अभ्यास' के तहत हवाई हमले के दौरान आपातकालीन स्थिति में बचाव,राहत एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड महाविद्यालय में मॉक ड्रील कर पूर्वाभ्यास किया गया। इंसीडेंट कमांडर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर महेंद्र मीणा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की सक्रियता,आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और आपसी समन्वय की मॉक ड्रील की गई।

इस दौरान जिला कलक्टर श्री पुखराज सेन एवं पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर मॉक ड्रील की कार्यवाही एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

जिला कलक्टर श्री पुखराज सेन ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों की पालना में आयोजित मॉक ड्रील के तहत आज अपराह्न 4.00 बजे नियंत्रण कक्ष से राजकीय बांगड महाविद्यालय में हवाई हमले की सूचना प्रसारित कराई गई तथा सायरन बजाकर नागरिकों को हवाई हमले के संबंध में सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुरन्त जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा दल, अग्निशमन, एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस, नगर निगमकर्मी सहित अन्य संबंधित विभागों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव के लिए रेस्क्यू अभियान तुरन्त प्रारम्भ किया। मॉक ड्रील के दौरान महाविद्यालय परिसर को खाली कराने व वहां लगी आग को बुझाने की त्वरित कार्यवाही कर संबंधित दलों द्वारा वहां पर मिले 4 घायलों को तुरन्त रेस्क्यू कर उपचार हेतु चिकित्साल में एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाने की कार्यवाही की गई। साथ ही परिसर को सेनेटाइज करने, राहत व बचाव कार्य करने तथा रेस्पॉन्स टाइम पर उपकरणों का सही सही तरीके कार्य आदि तैयारियों समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली, हॉटलाइन/रेडियो लिंक, नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, ब्लैकआउट तैयारी, मेडिकल, रसद और अग्निशमन व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं का अभ्यास इस ड्रिल में किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा,उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी,नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र चौधरी, डीएसओ उपेंद्र ढाका,जिला परिषद के एसीईओ गौतम चौधरी, पीएमओ डॉ अजीत सिंह,विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एफ आर मीणा,जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सुनील मानवतल, डीटीओ सुप्रिया विश्नोई सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।

मौसमी बीमारियों से निपटने की हो पुख्ता व्यवस्थाएं

- **बीसीएमओ ने हीट वेव एवं मॉकड्रिल को लेकर किया सीएचसी का निरीक्षण**

हरसौर (सीमा सन्देश सं)। हरसोर कस्बे में गर्मी के मौसम में हिट वेव से निपटने की तैयारियों एवं मॉकड्रिल को लेकर भेरूंदा बीसीएमओ डॉ राजेंद्र चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औचक निरीक्षण किया।

चौधरी ने कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, दवा भंडार, लेबर रूम, वैक्सीन रूम की व्यवस्था देखी। उन्होंने हीट वेव से सम्बंधित समस्त आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया जाकर कूलर, पंखे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट, ओआरएस एवं साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मॉकड्रिल के चलते हर समय एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं तैयार रखने की बात कही। उन्होंने संस्थान में आने वाले रोगियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। वार्डों के निरीक्षण के दौरान वहां भर्ती मरीजों से बात कर मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात की। उन्होंने डीडीसी स्टोर का निरीक्षण किया और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में मिल रही सेवाओं को लेकर मरीजों तथा उनके परिजनों से फीडबैक लिया। अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण के भी निर्देश दिए। इस दौरान डॉ मुकेश लेगा, डॉ मुकेश चौधरी, डॉ मुस्कान सोनी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

एससी-एसटी एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

- **विभिन्न थानों में 9 मामले है दर्ज**

कोटपूतली (सीमा सन्देश सं)। कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के एक प्रकरण में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने प्रैस नोट जारी करते हुये बताया कि विगत 24 मार्च को कस्बे के वार्ड नं. 35 निवासी नरेन्द्र चौहान ने दर्ज करवाया था कि परिवादी की ग्राम सांगटेड़ा में मीट की दुकान है। जहाँ आरोपी सीताराम अपने साथी मायाराम, हुक्माराम, रामफल के साथ आकर दुकान से मटन मीट क्रय किया था। मटन के रुपए मांगने पर आरोपियों ने परिवादी के साथ मारपीट करते हुये गाली गलौच निकाल कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया एवं मटन मीट को सडक पर फेंक दिया। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुये मामले की जाँच डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरडक के सुपुर्द की। पुलिस द्वारा कई बार अभियुक्तों की तलाश में जगह-जगह दबिश दी गई परन्तु वे फरार हो गये। पुलिस ने निरन्तर प्रयासों से अभियुक्त ग्राम मोलाहेड़ा निवासी सीताराम (31) पुत्र रामनिवास गुर्जर को गिरफ्तार किया। जबकि प्रकरण के अन्य आरोपी ग्राम बबेरा,बानसूर निवासी हुक्माराम, रामफल व मायाराम फिलहाल फरार है। गिरफ्तार अभियुक्त सीताराम गुर्जर पनियाला थाने का हिस्ट्रीशीटर है। जिसके विरूद्ध प्रागपुरा, कोटपूतली, बानसूर, विराटनगर व पनियाला में विभिन्न मामलों के 09 प्रकरण दर्ज है।

श्रद्धालुओ ने महायज्ञ में दी आहुतियां

मालपुरा (सीमा सन्देश सं)। मालपुरा उपखंड के ग्राम पचेवर में श्री श्री 108 नाड़ी वाले बाबा धाम पर पूज्य गुरुदेव हरिओम तत्सत के सानिध्य में चल रहे दस दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण सहस्त्र चंडी महायज्ञ में बुधवार को पंचम दिवस पर नित्य आवाहित देवी देवताओं का पूजन अर्चन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा हवन के साथ साथ सपाद् लक्ष महामृत्युंजय जाप, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपालसहस्त्रनाम, रुद्र पाठ, श्री सूक्त, पुरुषुक्त, कनक धारा पाठ, वाल्मीकि सुन्दर काण्ड पाठ का कार्य भी किया जा रहा है इसी के साथ-साथ 5 कुंडों पर प्रतिदिन यजमानों के द्वारा आहुतियां प्रदान की जा रही है।

भगवान को कराया नगर भ्रमण, शोभायात्रा में उमड़े भक्तगण

डेगाना। वेंकटेश मंदिर डेगाना का आज बुधवार को 32वां वार्षिक स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। मंदिर परिसर में चल रहे दो दिवसीय स्थापना समारोह मे बुधवार को भगवान को रथ पर सजाकर सदर बाजार, करवा गली, डिप्टी कार्यालय, अस्पताल तीराहा, गायत्री मंदिर, रामदेव मंदिर से होते हुये नगर भ्रमण कराया। इस दोरान जगह जगह भक्तों ने भगवान के दर्शन कर पूजा आदी की ओर आशिर्वाद लिया। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष वैजनाथ करवा ने बताया की इस अवसर पर पंडित उमाशंकर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ व्यवस्थापक बैद्यनाथ करवा ने भगवान का अभिषेक किया। ओर आज बुधवार को वार्षिकोत्सव पर दोपहर 5 बजे भगवान की गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली। जिसमे श्रदालु भजनों की स्वर लहरियों के साथ नाचते हुये साथ रहै। शौभायात्रा के मदिर पहुंचने पर महाआरति हुई ओर भक्तों के प्रसाद वितरित किया। शोभा यात्रा में महिलाओं व पुरषो की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर पंडित उमाशंकर, बैधनाथ करवा, नारायण दास राठी, गोपाल करवा, रामअवतार करवा, ओमप्रकाश मालू, अशोक करवा, रामेश्वरलाल खंडेलवाल, कृष्णवतार हेड़ा, सर्वेश्वर मानधना, मनोज मितल, सदासुख सोनी, जगदीश हैडा सहित भक्तगण मौजूद मौजूद थे।

कोटपूतली में ब्लैक आउट पूर्वाभ्यास रहा सफल

कोटपूतली (सीमा सन्देश सं)। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिये निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिले भर की तरह कोटपूतली एवं आसपास के क्षेत्र में ब्लैक आउट का पूर्वाभ्यास (मॉक ड्रिल) का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान कस्बे के मुख्य मार्गो सहित राजमार्ग एवं सभी सम्पर्क सडकों पर वाहन संचालकों ने गाडियों को रोक कर लाईटें बंद कर ली। साथ ही घरों की सभी लाईटों समेत रोड़, हाई मास्क व राजमार्ग पर लगी विभिन्न लाईटों को भी बंद कर दिया गया। साथ ही टॉर्च समेत सभी इलैक्ट्रीक सोर्स भी बंद किये गये, जिससे जमीन पर किसी भी प्रकाश नहीं दिखाई दें। इस दौरान पुरा कोटपूतली शहर अंधेरे में डुबा हुआ नजर आया।

ब्लैक आउट का पूर्वाभ्यास सांय 7.30 बजे से सायं 8 बजे तक सफलतापूर्वक सम्पन्न

डीडवाना-कुचामन (सीमा सन्देश सं)। जिला कलक्टर पुखराज सेन ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 'हवाई हमले की स्थिति' से निपटने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ब्लैक आउट का पूर्वाभ्यास बुधवार को जिले में सांय 7.30 बजे से सायं 8 बजे तक ब्लैक आउट का पूर्वाभ्यास किया गया।

शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक डीडवाना तथा कुचामनसिटी सहित अनेक शहरों में सभी नागरिकों ने स्वेच्छा से अपने घरों,दुकानों, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ग्रामीण अंचल में बिजली के यंत्र,लाइट पूर्णतया बंद रखी।शहर के किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।राणासर-नारायणपुरा तिराहे पर आधे घण्टे तक वाहन बत्तियां बंद कर खड़े रहे।जगह जगह पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।कुचामण शहर काफी हद तक अंधेरे के आगोश में लिपटा रहा।

ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास के दौरान क्या करें, क्या ना करें

उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास के दौरान निर्धारित समय में सायरन या हूटर बजते ही सभी नागरिक अपने घरों, दुकानों, होटलों,भवनों, वाहनों,स्ट्रीट लाइट, पर्यटन स्थलों, कार्यालय व किसी भी परिसर की सभी लाइटें बंद करने के साथ ही किसी भी प्रकार की रोशनी का प्रयोग ना करें। इस दौरान मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद रखें। वाहन की हेडलाइट बंद कर सुरक्षित स्थान पर वाहन खड़े करे। उन्होंने बताया की इस दौरान अनावश्यक रूप से बहार घूमने व भीड़ इकट्ठी करने से बचें। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, तेज आवाज वाले उपकरणों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग नहीं करें। उन्होंने बताया की अफवाह न फैलाएं एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर ना करें।

U GRO CAPITAL
यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड
चौथा तल, टॉवर 3, इक्यूनोक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

डिमांड नोटिस

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002(''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(2) के सहपठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी कर इन नोटिसों को प्राप्त करने की तिथि से **60 दिवस** के भीतर इन ऋणधारक(ों) को नोटिसों में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऋणधारक डिमांड नोटिस(ों) को तामील करने से बच रहे हैं, इसलिए ये नोटिस नियमानुसार चस्पा और प्रकाशित कर तामील करवाए जा रहे हैं। डिमांड नोटिसों के तथ्यों का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

	ऋणधारक(ों) का नाम	डिमांड नोटिस तिथि और राशि
1.	1. श्री नारायण मिनरल्स 2. रामनारायण यादव 3. सुमित्रा देवी 4. सुप्यार देवी 5. आची देवी 6. राजेंद्र कुमार यादा 7. सजना देवी एलएएन-UGJAGMC0000054390	डिमांड नोटिस तिथि: 17/04/2025 07/04/2025 के अनुसार नोटिस राशि : रु. 8,748,899/-

सुरक्षित आस्ति(यों) का विवरण:- निर्माता: राजस्थान ग्रीन एनर्जी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, मॉड्यल: 1) ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मोड्यूल (ल्यूमिनस पैनल 550 डब्ल्यूपी नॉन डीसीआर पैनल) ग्रिड टाई इन्वर्टर (ल्यूमिनस-3*80 किलोवाट), 2) इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग एसीडीबी, डीसीडीबी, एलए-अर्थिंग एसी-डीसी वायर, नेट मीटर सोलर मीटर, स्ट्रक्चर। टैक्स इनवॉयसः RGESP00057

ऋणधारक(ों) को यहां सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस(ों) की पालना करें और इनमें तथा ऊपर उल्लेखित मांग का भुगतान इस प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, देर से भुगतान जुर्माना, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि व खर्चों सहित अदा करें। ऋणधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणधारक(ों) द्वारा ली गई ऋण सुविधा उन अचल सम्पत्ति/यों के विरुद्ध सुरक्षित बकाया है जिसे **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड सहित** ऋणधारक(ों) द्वारा सुरक्षित आस्ति(यों) के रूप में बंधक रखा गया।

ऋणधारक दिये गये समय में अपनी देनदारियां से पूर्णतः मुक्त होने में असफल होते हैं तो **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित आस्तियों का कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा, जो ऋणधारक(ों) के ऋण खाता में बकाया राशि की वसूली के लिए बिक्री के माध्यम से इनके हस्तांतरण या अधिनियम व नियमों में दी गई अन्य अतिरिक्त चाराजोई को प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं होगी। **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** विक्रय या हस्तांतरण के अधिकार के प्रयोग से पहले सुरक्षित आस्तियों को **अटैच और/या सील** करने में भी सक्षम है। बंधक सम्पत्तियों के मूल्य से सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि की पर्याप्त पूर्ति न होने के मामले में सुरक्षित आस्ति(यों) के विक्रय की निरंतरता में सुरक्षित लेनदार शेष बकाया की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही का अधिकार भी रखती है। यह चाराजोई अन्य किसी भी कानून में **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त व स्वतन्त्र होगी।

ऋणधारक(ों) को सावचेत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार उपलब्ध समय में वे सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित हैं और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार ऋणधारक(ों) को **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** से पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित आस्तियों के निस्तारण या इनके साथ कोई सौदा करने या विक्रय, लीज या अन्य (सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से) रास्ते से सुरक्षित आस्तियों के हस्तांतरण से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है और उक्त की पालना न किया जाना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और ऋणधारक यदि, इसकी आवश्यकता महसूस करें तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : सीकर-, राजस्थान
तिथि : 08.05.2025
हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी)
कृते यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

बीसीएमओ चौधरी ने चिकित्सा अधिकारियों को दिए निर्देश

मालपुरा (सीमा सन्देश सं)। ब्लैक आउट को लेकर बुधवार सवेरे मालपुरा जिला अस्पताल में बीसीएमओ डॉ संजीव चौधरी ने चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यक बैठक ली।

बीसीएमओ डॉ संजीव चौधरी ने बताया कि दो रेपीड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है साथ ही पांच 108 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर रखी गई है। इसके अतिरिक्त दवाइयां का स्टॉक व सभी मेडिकल अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रात्रि को 4लैक आउट रखा जाएगा इसके लिए मालपुरा 4लॉक के सभी सरकारी अस्पतालों को भी मॉक ड्रिल के संदर्भ में आवश्यक सूचना प्रेषित की गई है। डॉ संजीव चौधरी ने बताया कि सभी चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों को मॉकड्रिल के संबंध में जागरूक रखने के लिए निर्देशित किया गया जिससे भगदड या अव्यवस्था नहीं हो। बैठक में मालपुरा जिला अस्पताल प्रभारी डॉ कैलाश सामरिया सहित स्टाफ मौजूद रहा।

अवैध खनन कार्य लिप्त गिरफ्तार

बाड़ी। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरड़ा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगिड़ के दिशा निर्देशन में अवैध कारोबारियो के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आंगई प्रभारी संतोष शर्मा ने अवैध खनन कार्य में लिप्त रामनरेश पुत्र लेखराज गुर्जर निवासी निधारा को मुखबर की सूचना पर चिलाचौंद बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है इसके अलावा धौंध रोड से अवैध खनन कार्य में लिप्त पांच ट्रैक्टर ट्राली को वन क्षेत्र से चोरी अवैध खनन करते हुए जब्त किया है।

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 ईमेल: mumbai@omkaraarc.com | फोन: +91 22 26544027

[परिशिष्ट-IV-A]
[देखें नियम 8(6) के प्रावधान]
अचल आस्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना
प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम नियम 8(6)
प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

ईनीलामी की तिथि : 11 जून 2025

यहां जन सामान्य को एवं विशेष रूप से ऋणधारक(ों)/ जमानतदार(ों)/ बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीच उल्लेखित अचल सम्पत्ति [(सुरक्षित आस्ति(यों)] सुरक्षित लेनदार के बंधक/प्रभार में है अर्थात **ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल)** जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित कंपनी एवं प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (''सरफेसी एक्ट,2002'')की धारा 3 के अधीन एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** के साथ पंजीकृत, जिसका **सीआईएन नं. U67100TZ2014PTC020363** एवं इसका **पंजीकृत कार्यालय 9 एम.पी. नगर, पहली गली, कोंगु नगर एक्स्टेंशन, तिरुपुर-641607 व कॉर्पोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 ओमकारा पीएस-26/2021-22** ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पुनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लि. (पीएचएफएल)(जो पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में जानी जाती है(एमएचएफएल) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋणधारक(ों)/सह-ऋणधारक(ों)/बंधककर्ता(ओं) के सभी अधिकार, स्वामित्व व समग्र बकाया का ब्याज **30.09.2021** को प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अधीन सौंपे गये अनुबंध के अनुसार अधिग्रहित हैं।

इसके अलावा, सुरक्षित आस्ति (यों) का प्रतीकात्मक कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है और उक्त आस्ति(यों) को नीचे उल्लिखित तिथि के आधार पर नीचे उल्लिखित ऋणधारक(ों)/जमानतदार(ों)/बंधककर्ता(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है', 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, बयाना जमा राशि (ईएमडी) और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं।

ऋणधारक और सह-ऋणधारक का नाम
1. हरीश कुमार पहलवानी (ऋणधारक/बंधककर्ता) और 2. सविता पहलवानी (सह-ऋणधारक/बंधककर्ता)
1. जुगल किशोर सुमन (ऋणधारक/बंधककर्ता) और 2. रेनू सुमन (सह-ऋणधारक)

अचल संपत्ति का विवरण
स्वामित्व सविता पहलवानी वाला फ्लैट नंबर 06, दूसरी मंजिल, ब्लॉक ए, ग्राम वसुंधरा कुटुंब, बिलवा कलां, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड, जयपुर 302020
अधिमापनः 550 स्क्वैयर फीट, निर्मित क्षेत्र
जुगल किशोर सुमन के स्वामित्व में फ्लैट नंबर-एफ-525 5वीं मंजिल ग्राम परी रेजीडेंसी, चक हरबंसपुरा तहसील सांगानेर जयपुर 302018
अधिमापन 340 स्क्वैयर फीट

बकाया राशि रु. में
19-04-2021 के अनुसार रु. 10,26,461/- भुगतान की तिथि तक आगामी संविदात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ।
31-07-2021 के अनुसार रु. 4,86,032/- भुगतान की तिथि तक आगामी संविदात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ।

डिमांड नोटिस की तिथि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि		ईएमडी(रु.)	आरक्षित मूल्य(रु.)	वृद्धिशील राशि
19-04-2021	01-06-2022	30-05-2025 2:00 P.M to 4:00 P.M	1,24,000	12,40,000	10,000
30-03-2022	21-04-2025	30-05-2025 1:00 P.M to 2:00 P.M	76,500	7,65,000	10,000

ईएमडी के भुगतान और बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथिः 10-06-2025 शाम 6:00 बजे तक
नीलामी तिथि और समयः 11-06-2025 समयः दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

नियम व शर्तें:
1. नीलामी OARPL के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव के माध्यम से 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम व शर्तें वेबसाइट https://www.bankeauctions.com (सपोर्ट मेल आईडी support@bankeauctions.com सपोर्ट मोबाइल नंबर +91-7291981124/25/26) पर उपलब्ध हैं।
2. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता 'मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड', टेलि. हे